न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा आर.ए.एस.

मु.नं. 43/19

यशोदा बाई उर्फ सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन आयु 59 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

—वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित —

वादीनी की आरे से— विद्वान अधिवक्ता महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से— नायब तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

निर्णय

दिनांक— 16.07.2020

वादीनी ने एक वाद उक्त उनवान का इस आशय का माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खाता संख्या नया 368 के खसरा नं. 63 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 64 की रकबा 1.40 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.45 हैक्टर आराजी स्थित है। जो वादीनी ने करीब 14—15 साल पहले खरीदी थी उक्त आराजी की जब रजिस्ट्री कराई तब वादीनी का घर का बोलता नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन लिखवा दिया गया जो आज भी राजस्व रेकार्ड में सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड साकिन धूलेट ही चल रहा है। जबकि वादीनी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता आदि सभी दस्तावेजों में वादीनी का नाम यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट दर्ज हो रहा है। वादीनी को उक्त दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा इस नाम व जाति की ग्राम धूलेट में अन्य कोई महिला नही है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं वादीनी के अन्य दस्तावेजात में नाम की भिन्नता आने एवं सभी पहचान के दस्तावेजात में वादीनी का नाम यशोदा बाई पत्नी रामकिशन दर्ज होने से वादीनी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा वादीनी को कृषि ऋण लेने, बिजली का कनेक्शन लेने, सरकारी लाभ प्राप्त करने आदि मे भारी परेशानी आ रही है इसलिए वादीनी राजस्व रेकार्ड में भी इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादीनी का नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन की जगह यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 दर्ज करवाना चाहती है तथा अपने आप को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहती है। वादीनी को उक्त त्रुटि की जानकारी नकल जमाबंदी पटवारी हल्का से दिनांक 16.07.2019 को लेने पर व जमाबंदी की नकल ई—मित्र पर

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन हेतु ले जाने पर उसके द्वारा खाते व अन्य .विजों में नाम की भिन्नता होने की जानकारी देने पर हुई है। उसके बाद वादीनी पटवारी जी पास नाम शुद्ध करवाने के लिए गई तो उन्होनें न्यायालय में वाद पेश करने के लिए सलाह .I। इसलिए वाद का करण दिनांक 16.07.2019 को उत्पन्न हुआ। वाद दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से दिनांक 10.12.2019 को जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम जमाबंदी में सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन के स्थान पर यशोदा बाई पत्नी रामकिशन दर्ज करवाना चाहती है। जिसमें राजहित प्रभावित नही होते हैं। अतः सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन के स्थान पर यशोदा बाई पत्नी रामकिशन दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ती नही है। जवाब प्रतिवादी शामिल पत्रावली किया गया तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादी को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है कि वह माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खाता संख्या नया 368 के खसरा नं. 63 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 64 की रकबा 1.40 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.45 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में जर्ये इन्द्राज दुरूस्ती वादीनी का नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन की जगह दुरूस्त करके यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास दर्ज करवा लेवें।

–वादीनी

2. आया दुरूस्ती किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ती नही है। कोई राजहित प्रभावित नही होती है।
— प्रतिवादी

3. दादरसी।
उक्त तनकियात में तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीनी पर है। वादीनी द्वारा साक्ष्य वादी के दौरान पी0डब्ल्यू0– 1 स्वयं वादीनी के बयान लेखबद्ध करवाये जिसमें वादीनी ने अपने वाद को पूर्णतया तायद किया है तथा साथ ही वादीनी द्वारा ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र, नकल जमाबंदी माल धूलेट नया खाता संख्या नई 368, बैंक पास बुक, वादीनी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड को प्रदर्शित करवाया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादीनी का वास्तविक नाम यशोदा बाई पत्नी रामकिशन है इसलिए तनकी संख्या 1 वादीनी के हक में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है जिसे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के विशेष कथन से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती में कोई आपत्ती नही है और ना ही कोई राजहित प्रभावित होते है। सम्पूर्ण पत्रावली साक्ष्य वादीनी व वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजता एवं जवाब प्रतिवादी का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादीनी का सभी दस्तावेजात में नाम यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट है इसलिए वादीनी का विवादग्रस्त आराजी में नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन के स्थान पर यशोदा बाई पत्नी रामकिशन शुद्ध किया जाकर वादीनी को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की वर्तमान खाता संख्या नया 373 के खसरा नं. 63 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 64 की रकबा 1.40 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.45 हैक्टरं आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन के स्थान पर यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादीनी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

यशोदा बाई उर्फ सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन आयु 59 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

0 —वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. **43/19** सन **2019** तारीख फैसला **16.07.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की वर्तमान खाता संख्या नया 373 के खसरा नं. 63 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 64 की रकबा 1.40 है0, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.45 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम सहोदरा बाई पत्नी रामकिशन के स्थान पर यशोदा बाई पत्नी रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादीनी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है , **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ... मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.07.2020** माह जुलाई 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
...दावा "" वकालतनामा "" स्टाम्प वजह सबूत "" ...हनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक "" मीजान ""	---------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प अर्जी "" महनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक "" मीजान ""	---------NIL------	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डूमा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास